(ग) इन रुग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी नहीं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 1997 तक एकत्र किए गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योंगों को संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कम हो गयी है । रुग्ण एककों तथा उनके प्रति बकाया राशि के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अन्य तक	कुल रुग्ण उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
मार्च, 1995	2,68,815	3647.16
मार्च, 1996	2,62,376	3721।94
मार्च, 1997	2,35,032	3609.20

वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंकड़े अभी एकत्र किए जाने हैं ।

लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी

492. **श्री बरबिन्दर सिंह :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेम्गे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित पी0 आर0 नायक समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में चलाये जा रहे लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के रुप में 28 प्रतिशत ऋण देने की सिफ़ारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1996-97 के दौरान इस शिर्ष के अन्तर्गत केवल 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की राशि प्रदान की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है; और

(घ) 1998-99 के चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी देने से संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां । यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नायक समिति ने सिफ़ारिश की कि लघु इकाइयों को प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1996-97 में कार्यशील पूंजी वित्त प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन का 7.8 प्रतिशत था । लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि करना सरकार का प्रयास रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार लघु उद्योगों के लिए बकाया ऋण की रकम मार्च, 1996 के अन्त में 19,485 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 31,542 करोड़ रुपये हो गयी । सार्वजनिक क्षेत्र ने बैकों द्वारा निविल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रुप में लघु क्षेत्र का हिस्सा मार्च, 1996 के अंत में 16.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 16.6 प्रतिशत हो गई है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैकों को निम्नलिखित सलाह दी गई है :-

(1)ग्रामीण उद्योग तथा अति लघु उद्योगों सहित जिन लघु उद्योग इकाइयों की बैंकिगं पद्धति से 2 करोड़ रु0 तक की कार्यशील पूंजी आधारित कुल वित्त की अनावश्यकता है, उन्हें प्राक्षिप्त वार्षिक उत्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर संगणित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध कराई जानी चाहित ।

(2)सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को निधियों के उनके कुल आबंटन में से 40 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराये जाते है जिनके संयंत्र तथा मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश है, 20 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है जिनके संयंत्र मशीनरी में निवेश 5 लाख तथा 25 लाख के बीच है और शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता हैं ।

(3)और अधिक विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखायें चलाना ।

(4)ऋण आवेदनों को निपटाने में विलम्ब से बढ़ने के लिए किस दृष्टि से विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करना ।

(5)ऋण आवेदनों की निर्धारित समय सीमा, 8 से 9 सप्ताह से अनाधिक अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए ।

दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

493. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत 1995 से अब तक कितना ऋण दिया गया है;